



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243645
CG-DL-E-16022023-243645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 684]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

का.आ. 714(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 727 (अ) तारीख 16 फरवरी 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के ओस्मानाबाद जिले में NH9 के कि.मी. 269/800 से कि.मी. 348/800 (सेंट्रल बिल्डिंग, कलेक्टर ऑफिस, ओस्मानाबाद) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 26/03/2022 को दैनिक 'लोकमत' और तारीख 28/03/2022 दैनिक 'सकाळ' दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 9 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं 65) के 269/800 कि. मी. से 348/800 कि. मी. (महाराष्ट्र - सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: उस्मानाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: लोहरा				
	गांव का नाम: दस्तापूर				
1	सी. टी. एस. क्रमांक १०५	निजी	निवासी	0.0049000	रावण काशीराम वाकळे, सुलोचना रावण वाकळे (सी.टी.एस. क्र. 105)
2	सी. टी. एस. क्रमांक १०६	निजी	निवासी	0.0032000	वामन पंढरीनाथ डोंगरे, पद्मिनीबाई वामन डोंगरे (सी.टी.एस. क्र. 106)
3	सी. टी. एस. क्रमांक ५६ / ५७	निजी	निवासी	0.0014000	धोंडीराम बापूराव माडजे, तेजाबाई धोंडीराम माडजे, विष्णू बापूराव काळे, कालिंदा विष्णू काळे (सी.टी.एस. क्र. 56, 57)
4	गावठाण	निजी	निवासी	0.0142000	अक्रूर खंडेराव चव्हाण, खंडेराव शिवाजी चव्हाण, दत्तू रावजी चव्हाण, विठ्ठल ज्ञानोबा डोंगरे, लक्ष्मीबाई विठ्ठल डोंगरे, साधू राम वाकळे, शकुंतला साधू वाकळे (गावठाण)

	तालुक का नाम: ओमेरगा				
	गांव का नाम: जकेकुर				
5	सी. टी. एस. क्रमांक ४१९	निजी	निवासी	0.0200000	शिवाजी संभाजी चव्हाण, त्र्यंबक संभाजी चव्हाण (सी.टी.एस. क्र. 419)
6	गावठाण	निजी	निवासी	0.0113000	दत्ता पांडुरंग कांबळे, सुभद्राबाई मरीबा गायकवाड, अंबादास सावळा कांबळे, शहाजी दत्तात्रय पाटील (गावठाण)
	गांव का नाम: तालमोड				
7	सी. टी. एस. क्रमांक ६०५	निजी	निवासी	0.0002000	शेटीबा गोविंद गायकवाड (सी.टी.एस. क्र. 605)
	गांव का नाम: तुरोरी				
8	78	निजी	कृषि	0.0063000	देविदास रामराव जाधव आणि अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (78)
	गांव का नाम: येनेगुर				
9	सी. टी. एस. क्रमांक ५६०	निजी	निवासी	0.0044000	सुभाना भुताळी बनसोडे, शेषेराव सुभाना बनसोडे, महादेव सुभाना बनसोडे (सी.टी.एस. क्र. 560)
10	सी. टी. एस. क्रमांक ८६६	निजी	निवासी	0.0042000	तानाजी खुलास लोहार (सी.टी.एस. क्र. 866)
11	गावठाण	निजी	निवासी	0.0481000	जनार्दन सोपान सुरवसे, अभिमन्यू रामा सुर्यवंशी, राजेंद्र महादेव सुरवसे, संतोष विठ्ठल गायकवाड, दिगंबर यादवराव गायकवाड, छबुबाई गोपीचंद गायकवाड, गोरोबा सटवा गायकवाड, बब्रुवान विठ्ठल गायकवाड, नारायण सटवा गायकवाड, मच्छिंद्र सटवा गायकवाड, उमराव गुंडा कांबळे, कल्पना उमराव कांबळे, सुतानबाई परमेश्वर कांबळे, नंदकुमार बाबुराव मोरे, सदाशिव संभा गायकवाड, शिवराव तुकाराम गायकवाड, खंडा

					हरीबा सोनटके, बाबू खंडा सोनटके, विश्वनाथ खंडा सोनटके, लक्ष्मण आप्पाराव हिप्परगे (गावठाण)
TOTAL				0.1182	

[फा. सं. NHAI/LA/11013/Mah/Solapur/2010/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2023

S.O. 714(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S. O. 727 (E) dated 16/02/2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH9 on the stretch of land from Km. 269/800 to Km. 348/800 (Central Building, Collector office, Osmanabad) in the district of OSMANABAD in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Lokmat” and “Daily Sakal” both dated 26/03/2022 & 28/03/2022 respectively; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of Land from Km. 269/800 to Km. 348/800 (Maharashtra Section) of the NH-9 (New National Highway. 65) in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: OSMANABAD		
Sl. No.	Survey Number/Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Lohara				
	Village: Dastapur				
1	C. T. S. No. 105	Private	Resident	0.0049000	Ravan Kashiram Wakle, Sulochana Ravan Wakle C. T. S. No. 105
2	C. T. S. No.	Private	Resident	0.0032000	Waman Pandharinath Dongre, Padminibai Waman Dongre

	106				C. T. S. 106
3	C. T. S. No. 56 / 57	Private	Resident	0.0014000	Dhondiram Bapurao Madje, Tejabai Dhondiram Madje, Vishnu Bapurao Kale, Kalinda Vishnu Kale C. T. S. No. 56, 57
4	Gaothan	Private	Resident	0.0142000	Akrur Khanderao Chavhan, Khanderao Shivaji Chavhan, Dattu Raoji Chavhan, Vitthal Dnyanoba Dongre, Laxmibai Vitthal Dongre, Sadhu Ram Wakle, Shakuntala Sadhu Wakle Gaothan
	Taluk: Omerga				
	Village: Jakekur				
5	C. T. S. No. 419	Private	Resident	0.0200000	Shivaji Sambhaji Chavhan, Tryambak Sambhaji Chavhan C. T. S. No. 419
6	Gaothan	Private	Resident	0.0113000	Datta Pandurang Kamble, Subhadrabai Mariba Gaikwad, Ambadas Sawla Kamble, Shahaji Dattatray Patil Gaothan
	Village: Talmol				
7	C. T. S. No. 605	Private	Resident	0.0002000	Shetiba Govind Gaikwad C. T. S. No. 605
	Village: Turori				
8	78	Private	Agriculture	0.0063000	Devidas Ramrao Jadhav and As Per Record of Rights 78
	Village: Yenegur				
9	C. T. S. No. 560	Private	Resident	0.0044000	Subhana Bhutali Bansode, Shesherao Subhana Bansode, Mahadev Subhana Bansode C. T. S. No. 560
10	C. T. S. No. 866	Private	Resident	0.0042000	Tanaji Khulas Lohar C. T. S. No. 866
11	Gaothan	Private	Resident	0.0481000	Janardhan Sopan Survase, Abhimanyu Rama Suryawanshi, Rajendra Mahadev Survase, Santosh Vitthal Gaikwad, Digambar Yadavrao Gaikwad, Chabubai Gopichand Gaikwad, Goroba Satva Gaikwad, Babruwan Vitthal Gaikwad, Narayan Satva Gaikwad, Machhindra Satva Gaikwad, Umrao Gunda Kamble, Kalpana Umrao Kamble, Sutanbai Parmeshwar Kamble, Nandkumar Baburao More, Sadashiv Sambha Gaikwad,

					Shivrao Tukaram Gaikwad, Khanda Hariba Sontakke, Babu Khanda Sontakke, Vishwanath Khanda Sontakke, Laxman Apparao Hipparage Gaothan
TOTAL				0.1182	

[F. No. NHAI/LA/11013/Mah/Solapur/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Director